न्यायालय उपखण्ड अधीकारी उपखण्ड सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

पीठासीन अधिकारीः– अनील कुमार जैन **(RAS)**

प्रकरण सख्याः–2/2021

1. शंकरलाल पुत्र जीवा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी भाणासीमल तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1. प्रकाश पुत्र लक्ष्मण मीणा
2. मणी पत्नी लक्ष्मण मीणा
3. हरीश पुत्र लक्ष्मण मीणा निवासी गडावाटेश्वर तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
4. श्रीमान् लैण्ड होल्डर जरीये श्रीमान् तहसीलदार साहब सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादी

वादपत्र बाबत् बटवारा अन्तर्गत धारा 53 राज. कास्तकारी अधिनीयम।

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधीवक्ता वादी

2 श्री गीरधर रोत अधीवक्ता प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक 22/02/2021

1- (1) प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गडावाटेश्वर में स्थित वादग्रस्त खाता सख्या नया 100 के खसरा सख्या 25 का कुल रकबा 0.2266 हेक्टेयर भूमि है जिसमें वादी का 3/7 हिस्सा, प्रतिवादी प्रकाश का 1/42 वॉ हिस्सा, मणी का 1/42 हिस्सा, हरीश का 1/42 वॉ हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा काली पत्नी स्व. कुरीया का देहान्त हो चुका है, कि वादी एवं प्रतिवादीगण का मौके पर आपसी बटवारा हो चुका है किन्तु रिकार्ड में बटवारा नहीं किया गया है प्रतिवादीगण से खाता बटवारा कराने निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण तहसील कार्यालय आने से मना कर रहे है ऐसे में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है इस प्रकार वाद हेतुक उत्पन्न हो रहा है, कि वादी खातेदार काश्तकार है ऐसे में बटवारा कराने का वादी को हक अधिकार है कि वादपत्र पेश कर वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न दादरसी की अभियाचना करते हैः–कि मौजा गडावाटेश्वर में स्थित वादग्रस्त खाता सख्या नया 100 के खसरा सख्या 25 का कुल रकबा 0.2266 हेक्टेयर भूमि है जिसमें वादी मौके पर काबीज है उसी अनुसार बटवारा किया जावे, कि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादी के बटवारे में आई जीमन में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं करे इस आशय की स्थिाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

अतः मौजा गडावाटेश्वर में स्थित वादग्रस्त खाता सख्या नया 100 के खसरा सख्या 25 का कुल रकबा 0.2266 हेक्टेयर भूमि में बटवारा स्किम के अनुसार वादी के 3/7 हिस्से के अनुसार , प्रतिवादी प्रकाश **यह कि वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को तलब किया, प्रतिवादीगण मय अधीवक्ता गीरधर रोत के पेश हुए तथा बटवारा करने सहमत हुए, वादी**

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

एवं प्रतिवादीगण ने एक लिखीत राजीनामा, मय बटवारा प्रस्ताव पेश किया किः– गॉव गडावाटेश्वर के जमाबन्दी खसरा सख्या 25 का रकबा 0.2266 हैक्टेयर भूमि है जिसमें वादी का 3/7 हिस्सा है जिस पर वादी काबीज है मौके पर काबीज के अनुसार बटवारा कराने दोनो पक्ष सहमत है वादी के 3/7 वॉ हिस्सा में 0.0971 हैक्टेयर भूमि आती है जो अलग की जानी आवश्यक है रोड साईड वाली भूमि वादी की तथा पीछे की भूमि प्रतिवादीगण की रहेगी, प्रतिवादीगण को आने–जाने 10 फीट (दस) का रास्ता वादी देगा। उक्त रास्ते वाली भूमि पर दोनो पक्ष में से कोई भी पक्ष निर्माण नहीं करेगा। अतः राजीनामा तस्दीक कर वादी का वाद डिकी किया जावे। राजीनामें के साथ वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा बटवारा स्किम भी प्रस्तुत की गई जिसमें रोड साईड वाली भूमि जिसका क्षैत्रफल 0.0971 हैक्टेयर भूमि वादी को दी गई जो नक्षा/बटवारा स्किम ट्रेस में दर्शाई गई है शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जो नक्षा ट्रेस में दर्शाई गई है, प्रतिवादीगण के हिस्से में आई भूमि तक पहुच हेतु डेढ गट्टा का कोमन रास्ता जिसका दोनो पक्ष उपयोग–उपभोग कर सकेगे। जिस पर कोई भी पक्ष निर्माण कार्य नहीं कर सकेगा।

कियात्मक आदेश

अतः गॉव गडावाटेश्वर कें खसरा सख्या 25 का कुल रकबा 0.2266 हैक्टेयर भूमि में से 0.0971 हैक्टेयर भूमि जो वादी कें नाम अलग से खाता एवं शेष भूमि का प्रतिवादीगण के नाम खाता दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है उक्त विभाजन बटवारा स्किम के अनुसार किए जावे। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अवीलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 22/02/2021.को खूले न्यायालय मे सूनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा जिला डूॅंगरपुर

पीठासीन अधिकारीः— अनील कुमार जैन **(RAS)**

प्रकरण सख्याः—2/2021

दावाः— **वादपत्र बाबत् बटवारा अन्तर्गत धारा 53 राज. कास्तकारी अधिनीयम**

वादी की ओर से अधीवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल और प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गीरधर रोत, इस वाद में आज दिनांक 23/02/2021 को अनील कुमार जैन RAS के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि **गॉव गडावाटेश्वर कें खसरा सख्या 25 का कुल रकबा 0.2266 हैक्टेयर भूमि में से 0.0971 हैक्टेयर भूमि जो वादी कें नाम अलग से खाता एवं शेष भूमि का प्रतिवादीगण के नाम खाता दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है उक्त विभाजन बटवारा स्किम के अनुसार किए जावे। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अवीलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।**

यह आज दिनाक 23/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा
सीमलवाड़ा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा
सीमलवाड़ा